अब सुअर पालन के लिए एन एल एम के तहत सब्सिडी 15 लाख रुपये से शुरू

अब सुअर पालन में लगे उद्यमी भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन एल एम) के तहत छोटी इकाइयों के लिए भी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। एन एल एम के पशुधन और कुक्कुट नस्ल विकास उप-मिशन के तहत सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए के परिचालन दिशानिर्देशों संशोधन किए गए हैं।

योजना के तहत, एन एल एम उद्यमियों को सुअर पालन के लिए पूंजीगत लागत का 50% तक की सब्सिडी प्रदान करता है।

अब 50 सुअरियों और पांच सुअरों की इकाई शुरू करने पर उद्यमियों को 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे पहले, सब्सिडी केवल 100 सुअरियों और 25 सुअरों वाले फार्म के लिए उपलब्ध थी।

यह योजना 2021-22 वित्तीय वर्ष में पूरे भारत में लागू की गई थी। यह योजना राज्य के पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है।

सुअर पालन हेतु सब्सिडी के संशोधित मानक

सुअर पालन इकाई का आकार	पूंजी सब्सिडी की अधिकतम राशि
50 सुअरियां और 5 सुअर	15 लाख रुपये
100 सुअरियां और 10 सुअर	30 लाख रुपये

योजना के उद्देश्य

- सुअर पालन में उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना।

- फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (आगे और पीछे की कड़ी) की स्थापना।
- आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से देश की सुअर आबादी की प्रति पशु उत्पादकता में सुधार।
- पोर्क में आयात निर्भरता को प्रतिस्थापित करने के लिए सुअर के मांस और सुअर-मांस के उत्पादों का निर्यात शुरू करना।
- वैज्ञानिक पालन पद्धतियों, पोषण और रोग निवारण आदि के बारे में जागरूकता फैलाना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- निजी व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठनों (एफ सी ओ), संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी), स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियों को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के माध्यम से उद्यमियों का सृजन।
- उद्यमी को केंद्र या राज्य सरकार/पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले स्थानीय किसानों से न्यूनतम 50 सुअरियां और 5 सुअरों की संख्या के प्रजनन पशुओं के साथ एक ब्रीडर फार्म की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- केंद्र सरकार परियोजना की लागत के लिए 50% या 30 लाख रुपये तक की पूंजी सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। परिवहन, बीमा और उपकरण/मशीनों के साथ आवास और प्रजनन पशुओं की लागत के लिए धन प्रदान किया जाता है।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण से करनी होगी।

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठन (एफ सी ओ), संयुक्त देयता समूह (जे एल जी), स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियां।

परियोजना की निगरानी

एस आई ए इसके संचालन के संबंध में पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए परियोजना की निगरानी करेगी।

योजना के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट https://dahd.nic.in/schemes/programmes/national_livestock_mission पर उपलब्ध है।